ऑनलाईन पेंशन प्रपत्रों में पायी जाने वाली कमियां

1. ऑनलाईन पेंशन प्रपत्रों में कतिपय कार्मिकों की श्रेणी AUTONOMOUS अंकित होती है।
2. ऑनलाईन पेंशन प्रपत्रों में पारिवारिक पेंशनर/पत्नी के नाम की स्पेलिंग एवं जन्मतिथि त्रुटिपूर्ण होती है।
3. ऑनलाईन पेंशन प्रपत्रों में पुत्र एवं पुत्रियों का नाम LTA (Life time arrears) में अंकित न कर सिर्फ Family Pensioners (FP) में अंकित होता है, जबकि दोनों स्थानों पर अंकित किय जाना चाहिए।
4. ऑनलाईन पेंशन प्रपत्रों में कार्मिक का स्वयं का नाम पारिवारिक पेंशनर के रूप अंकित होता है।
5. ऑनलाईन पेशंन प्रपत्रों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को भी अधिवर्षता (Superannuation) श्रेणी में अंकित किया जाता है।
6. ऑनलाईन पेंशन प्रपत्रों में Service History में नियुक्ति की तिथि से ही अन्तिम पदनाम अंकित होता है तथा Service History अपूर्ण होती है।
7. ऑनलाईन पेंशन प्रपत्रों में तदर्थ सेवावधि को पेंशनरी लाभ से घटाया नहीं जाता है।
8. विनियमितीकरण की तिथि को ही नियुक्ति की तिथि अंकित किया जाता है।
9. संशोधित वेतन निर्धारण की विभागीय वित्त नियंत्रक द्वारा पुनः जांच सम्बन्धी प्रमाण पत्र अपलोड नही किया जाता है।
10. परिशिष्ट–1 में चस्पा फोटो सत्यापित नहीं होती है तथा परिशिष्ट–1 अपूर्ण होता है।
11. क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र अपूर्ण होता है।
12. प्रकरण कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की स्थिति में स्वयं के मामलो में एक स्तर उच्चतर प्राधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित नहीं होता है।
13. विद्यालय के अनुदान सूची में आने से पहले की सेवावधि को अंकित नही किया जाता है।
14. ऑनलाईन पेंशन प्रपत्रो में Employee Contact No. और DDO Contact No. एक ही होता है। DDO का मोबाईल नम्बर अपडेटेड नहीं होता है।
15. सम्बंधित प्रमाण पत्र के स्थान पर अन्य प्रमाण पत्र अपलोड किये जाते है।
16. प्रकरण ऑनलाईन तो अप्रूव कर दिया जाता है, लेकिन सेवापुस्तिका के साथ हार्ड कॉपी निदेशालय में प्राप्त नहीं होती है।
17. प्रकरण हार्ड कॉपी में तो निदेशालय में प्राप्त होता है लेकिन ऑनलाईन अप्रूव नहीं किया जाता है।

सेवापुस्तिका की जांच करते समय पायी जाने वाली कमियां

सेवापुस्तिका में की जाने वाली अंकनाओं में सामान्य कमियांः–

1. सेवापुस्तिका का प्रथम पृष्ठ, जिसमें कार्मिक का स्वयं का विवरण अंकित किय जाता है, अपूर्ण होता है।
2. कार्मिक के परिवार का विवरण एवं विभिन्न नामांकन प्रपत्र अपूर्ण/अद्यावधिक नहीं होते।
3. कार्मिक के सेवा सम्बन्धी Milestones यथा पदोन्नति, पदावनति, विभागीय जांच का निष्कर्ष, स्थानान्तरण, समयमान वेतनमान/ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. के लाभ तथा विशिष्ट सेवा के सम्बन्ध में दिया गया कोई पुरस्कार इत्यादि की क्रमशः तिथिवार अंकना नहीं होती।
4. प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त कार्मिक की सेवा सत्यापन का प्रमाण पत्र अंकित किया जाना चाहिए, जो कतिपय प्रकरणों में नहीं होता।
5. सेवापुस्तिका में तदर्थ सेवा को विनियमित किये जाने की हस्तलिखित अंकना नहीं होती है, साथ ही विद्यालय के अनुदान सूची में आने की भी हस्तलिखित अंकना भी सेवापुस्तिका में नहीं होती है।

6. संशोधित वेतन निर्धारणों की सेवापुस्तिका में हस्तलिखित अंकना नहीं की जाती है।
7. सेवापुस्तिका में वेतन निर्धारण की धनराशि को ओवर राइटिंग किया जाता है, जबकि इसे Cross कर cutting attested किया जाना चाहिए।
8. सेवापुस्तिका के दो अलग–अलग पृष्ठों को आपस में चिपकाया जाता है जिस कारण सम्बंन्धित पृष्ठो की अंकना ढक जाती है।
9. वर्तमान मे लिपिक का पदनाम परिवर्तित हो गया है परन्तु सेवापुस्तिका में/ऑनलाइन उक्त पद अभी भी अंकित किया जाता है।

वेतन निर्धारण सम्बन्धी कमियां/त्रुटियांः–

10. दिनांक 01.09.2008 (एसीपी लागू होने की तिथि) से पहले समयमान वेतनमान का लाभ दिये जाने की स्थिति में मात्र ग्रेड वेतन का अंतर प्रदान किया जाना था एवं वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जाना है। यह त्रुटि पायी जाती है।
11. ACP में न्यूनतम वेतन का लाभ दिया जाना त्रुटिपूर्ण होता है। ACP की अनुमन्यता पर छठे वेतन आयोग के अनुसार पद का प्रारंभिक मूल वेतन (शासनादेश सं0 41) देय नहीं है।
12. पदोन्नति पर छठे वेतन आयोग के अनुसार पद का प्रारंभिक मूल वेतन (शासनादेश सं0 41), दिसम्बर 2018 से पूर्व नोशनल रूप से निर्धारित करते हुए, दिसम्बर 2018 के पश्चात वास्तविक रूप से देय है। उक्त से पूर्व ही पद के प्रारंभिक मूल वेतन के अनुसार वेतन दिये जाने की स्थिति में इसकी वसूली की जानी है।
13. पदोन्नति/ACP/उच्चीकरण की स्थिति में आगामी वेतनवृद्धि का लाभ छः माह बाद नहीं दिया जाता है। कतिपय प्रकरणों में छः माह से पूर्व ही प्रदान किया जाता है।
14. दिनांक 01.01.2006 में नये वेतनमान का लाभ 31.12.2005 के वेतन के आधार पर न करके 01.01.2006 के वेतन के आधार पर किया जाता है।
15. दिनांक 01.01.2006 से पूर्व के वेतनमान 6500–10500 के ग्रेड वेतन 4200/4600 में संशोधित किये गये वेतन विभागीय शासनादेशों के अनुरूप नहीं होते हैं।
16. ACP में विकल्प का लाभ लेने पर वेतन निर्धारण त्रुटिपूर्ण होता है।
17. दिनांक 01.09.2008 से एसीपी लागू होने के उपरान्त अगला उच्च वेतनमान अनुमन्य है, जबकि 01.11.2013 से पदोन्नत पद का वेतनमान अनुमन्य है, लेकिन विभाग द्वारा 01.01.2013 से पूर्व ही पदोन्नत पद का लाभ दिया जाता है।
18. वेतन संशोधन की स्थिति में DDO द्वारा वसूली का आगणन प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जिस कारण वसूली नहीं हो पाती है। वेतन निर्धारण संशोधन के कारण हो रही वसूली का अंकन/चालान की प्रति सेवा पुस्तिका में नहीं पायी जाती है।
19. शा0 में 01.01.2016 से यदि किसी ने विकल्प का लाभ नहीं लिया है तो वह विकल्प का लाभ ले सकता है परन्तु विभाग द्वारा 01.01.2016 से पूर्व भी विकल्प का लाभ ले कर वेतन निर्धारण किया जाता है।
20. प्रतिनियुक्ति पर जाने एवं वापस अपने विभाग में आने या संविलियन किये जाने सम्बन्धी अंकना सेवा पुस्तिका में नहीं की जाती है।
21. पुलिस विभाग में प्रशिक्षण अवधि का सेवापुस्तिका में कोई उल्लेख नहीं होता है जबकि ACP का लाभ दिये जाने पर प्रशिक्षण अवधि जोडी जाती है।